

Omair

सं०सं०-17/एल2-14/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय :- डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना
चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-1302(17), दिनांक-09.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-31.10.2024 से 22.09.2025 तक उपभोगित चिकित्सीय अवकाश की अवधि को रूपांतरित/उपार्जित अवकाश में स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

तदहेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपसे डा० कुमार के अवकाश आदेयता (रूपांतरित अवकाश सहित) प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि डा० अशोक कुमार के दिनांक-30.10.2024 तक संचित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन रूपांतरित अवकाश सहित उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं०सं०-17/एल2-14/2025- 814(17) /पटना, दिनांक :- 10.07.26

प्रतिलिपि:- डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना चिकित्सा
महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santhosh Kumar
19/7/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।